MP Industrial Development Corporation Limited

Azadi Ka Amrit Mahotsav

MP INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(Government of Madhya Pradesh Undertaking)

क्रमांक/213/एमपीआईडीसी/स्था./से.नि.17/2021/ भोपाल दिनांक .01.2023

//आदेश//

निगम के संचालक मण्डल की बैठक क्रमांक 201 दिनांक 07 जनवरी 2022 की कार्यसूची क्रं 05 के अधीन ''मुख्यमंत्री कोविड–19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना'' के कार्यान्वयन हेतु निम्न निर्णय पारित किया गया था:–

''कोविड–19 संक्रमण से दिवंगत हुए, योजना के बिंदु क्रमांक 6 में वर्णित पदों में सेवायुक्तों के पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति हेतु अपेक्षित संख्या में सहायक वर्ग–3/चतुर्थ श्रेणी स्तर के अधिसंख्य (सुपरन्युमरी) पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने वाले सेवकों के पदोन्नति/सेवानिवृत्ति अथवा अन्यान्य कारणों से सेवा मुक्त होने की अवधि तक के लिये पद सृज्जित करने एवं उक्त पदों पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने की अनुमति प्रदान करता है एवं वित्त विभाग के सुझाव अनुसार भविष्य में निगम में यदि सहायक वर्ग–3/चतुर्थ श्रेणी स्तर के पद निर्मित होने की स्थिति में अधिसंख्य पद पर अनुकंपा नियुक्ति से भरे पदों को समायोजित किया जाएगा एवं आउटसोर्स पद पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु पात्र आश्रितों की नियुक्ति उसी प्रकार के नियोजन में भर्ती की जाएगी जिस प्रकार के नियोजन में दिवंगत सेवक नियोजित था तथा प्रबंध संचालक को एतद द्वारा आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु अधिकृत करता है।''

2. उक्त निर्णय के अनुपालन में निगम के आदेश क्रमांक/213/एमपीआईडीसी/स्था./से.नि.17/2021/7669 दिनांक 28.12.2022 द्वारा कोविड–19 संक्रमण से दिवंगत निगम सेवक श्री राजेन्द्र पासी के पात्र आश्रित के लिए सहायक वर्ग–3 वेतनमान पे–बैण्ड–1 रु0 5200–20200 ग्रेड पे 2100 (छठवें वेतनमान) एवं निगम में वर्तमान में प्रचलित 7वें वेतन पुनरीक्षण में समतुल्य 22100–70000 पे मैट्रिक्स लेवल– 5 का एक अधिसंख्य (सुपरन्यूमरी) पद अनुकम्पा नियुक्ति हेतु सृजित किया गया है।

3. निगम के सन्दर्भित आदेश दिनांक 28.12.2022 द्वारा सृजित सहायक वर्ग–03 के एक अधिसंख्य (सुपरन्यूमरी) पद के विरुद्ध कोविड–19 संक्रमण से दिवंगत हुए निगम सेवक के निम्नांकित पात्र आश्रित को एमपी इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड में सहायक ग्रेड–3 पद पर वेतनमान पे–बैण्ड–1 रु0 5200–20200 ग्रेड पे 2100 (छठवें वेतनमान) एवं निगम में वर्तमान में प्रचलित 7वें वेतन पुनरीक्षण में समतुल्य 22100–70000 पे मैट्रिक्स लेवल– 5 में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर एतदद्वारा अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गये स्थान पर अस्थाई रुप से आगामी आदेश तक के लिए पदस्थ किया जाता है:–

सं.क्र	**अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त पात्र आश्रित**	**दिवंगत निगम सेवक का नाम**	**दिवंगत निगम सेवक से पात्र आश्रित का सम्बन्ध**	**अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त सेवक का वर्तमान पता**	**पदस्थापना का स्थान**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1	श्री विवेक पासी	स्व. श्री राजेन्द्र पासी	पुत्र	म.नं. 1976, विजय नगर छापर, रामपुर छिलवाहा, ग्वारीघाट, जबलपुर, मध्यप्रदेश	क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर

SECRETARIAT FOR SINGLE WINDOW SYSTEM
CIN : U51102MP1977SGC001392
21, Arera Hills, Bhopal-462011 M.P. (India)
Tel. : (91) 0755-2571830, 2575618, 3523555, 3523505, E-Mail : facilitation@mpidc.co.in, Website : www.invest.mp.gov.in

4. परिवीक्षा पर पदस्थ सेवक को मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3–13 / 2019 / 3 / एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 अनुरुप परिवीक्षा अवधि में इस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रुप में देय होगा। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर पदीय वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

5. अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्ति सेवक को 03 वर्ष की समयावधि में शासन द्वारा निर्धारित संस्था से प्रदायित एवं मान्य "कम्प्यूटर टायपिंग एवं कम्प्यूटर दक्षता" प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना तथा निम्नांकित मान्यता प्राप्त किसी एक संस्था से कम्प्यूटर डिप्लोमा / सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगाः–

   i) यू.जी.सी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।
   ii) यू.जी.सी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।
   iii) डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा।
   iv) शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स।
   v) शासकीय आई.टी.आई द्वारा एक वर्षीय "कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) प्रमाण पत्र।

परिवीक्षा पर नियुक्ति सेवक के पास यदि पूर्व से ही ऐसी योग्याताएँ होगी तो उन्हें पृथक से उक्त अपेक्षाओं की पूर्ति नही करनी होगी।

6. उपरोक्त निगम सेवक की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि निगम सेवा नियम 2017 एवं राज्य शासन के मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम–1961 एवं अन्य प्रभावशील नियमों के अनुरुप शासित होगी।

7. परिवीक्षाधीन सेवक यदि त्यागपत्र देना चाहेगा तो उसे निगम को एक माह का समयावधि नोटिस देना अथवा एक माह का वेतन जमा करना आवश्यक होगा।

8. यह आदेश अनुकम्पा नियुक्ति सेवक द्वारा पुलिस द्वारा किए जाने वाले चरित्र सत्यापन के संबंध में दिये गये शपथ पत्र एवं अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी के अधीन रहेगा एवं चरित्र सत्यापन के पुलिस प्रतिवेदन में यदि निगम सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।

9. अनुकम्पा नियुक्त निगम सेवक को आदेश जारी होने के दिनांक से 30 दिवस की अवधि में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा समयावधि पश्चात नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी माना जाएगा।

10. यह नियुक्ति आदेश उसी स्थिति में प्रभावशील होगा यदि सम्बंधित अभ्यर्थी शारीरिक दृष्टि से योग्य होने का जिला मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करने के समय प्रस्तुत करेगा।

11. संबंधित अनुकम्पा नियुक्ति निगम सेवक को कार्यभार ग्रहण करते समय संबंधित कार्यालय में अपने सम्बन्धित मूल अभिलेख यथा आयु, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, दिवंगत निगम सेवक का मृत्यु प्रमाणपत्र, कोविड–19 संक्रमण प्रमाण इत्यादि की मूल प्रति के साथ उनकी सत्यापित प्रतियां भी प्रस्तुत करनी होगी। इसकी जांच उपरांत पदस्थापना कार्यालय के संबंधित अधिकारी संबंधित मूल अभिलेख अभ्यर्थी को वापस लौटाएंगे तथा सत्यापित प्रति कार्यालय नस्ती में संधारित करेंगें एवं इसमें यदि किसी प्रकार की कोई संदेहास्पद स्थिति संज्ञान में आती है तो नियुक्त किए जाने वाले सेवक को कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जाएगा तथा इसकी सूचना सम्बंधित अधिकारी द्वारा तत्काल अधोरत्ताक्षरकर्ता को दी जाएगी।

12. इस आदेश से अनुकम्पा नियुक्त, निगम सेवक कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारुप में चरित्र सत्यापन हेतु शपथ पत्र एवं अनुप्रमाणन फार्म, कार्यभार ग्रहण स्थल के कार्यालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करेगा।

प्रबन्ध संचालक के आदेशानुसार

(सी.एस.धुर्वे)
कार्यकारी संचालक

पृ.क्र/213/एमपीआईडीसी/स्था./से.नि.17/2021/ 308 **भोपाल दिनांक** 23 **.01.2023**
प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रबन्ध संचालक, एमपीआईडीसीलि., मुख्यालय, भोपाल के निज सहायक।
3. कार्यकारी संचालक, एमपीआईडीसीलि., क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कृपया चरित्र सत्यापन संबंधी शपथ पत्र, अनुप्रमाणन फार्म की मूल प्रति एवं जिला मेडिकल बोर्ड के चिकित्सा प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेखों की सत्यापित प्रतियों का मूल प्रमाण पत्र/अभिलेखों से मिलान करते हुए सत्यापित प्रतियाँ प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित कराएँ।
4. महाप्रबन्धक, (स्था./वि.एवं.ले/आई.टी), एमपीआईडीसी, मुख्यालय, भोपाल।
5. श्री ______________________ की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश जारी होने के दिनांक से 30 दिवस की निर्धारित समयावधि में कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करें अन्यथा समयावधि के पश्चात नियुक्ति आदेश निष्प्रभावी माना जाएगा।

संलग्न :–चरित्र सत्यापन शपथ पत्र प्रारुप एवं अनुप्रमाणन फार्म।

कार्यकारी संचालक

SECRETARIAT FOR SINGLE WINDOW SYSTEM
CIN : U51102MP1977SGC001392
21, Arera Hills, Bhopal 462011 M.P. (India)

(एमपीआईडीसी **में सहायक ग्रेड–3 पद पर नियुक्ति**)

शपथ पत्र

मैं ....आयु..............पुत्र/पुत्री/पत्नी...निवासी ....
....शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ–

फोटो

1. यह कि मेरी अनुकम्पा नियुक्ति सहायक ग्रेड–3 पद पर एमपी इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड में हुई है।
2. यह कि मेरा चरित्र उत्तम है।
3. यह कि मुझे आज दिनांक तक कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है।
4. यह कि मुझ पर आज दिनांक तक किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है।
5. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहाराया गया हैं और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है।
6. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वार्जित नही किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है।
7. यह कि मैने अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन में जो भी जानकारियाँ दी हैं एवं जो अभिलेख प्रस्तुत किऐ हैं, वे पूर्णतः सही एवं सत्य है।
8. यह कि मेरे द्वारा जो जानकारियाँ दी गई हैं और जो अभिलेख प्रस्तुत किये गए है, यदि उनमें कोई भी जानकारी/अभिलेख असत्य पाऐ जाते है, तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा मेरे विरुद्ध असत्य शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के लिये भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो कि मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा।
9. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया गया मेरा नियुक्ति आदेश, चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल प्राप्त होने पर मुझे यदि निगम सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।

शपथगृहीता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथगृहीता ....सत्यापित करता/करती हूँ कि इस शपथ–पत्र कंडिका क्रमांक 1 से 9 तक में दी गई समस्त जानकारियाँ मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य एवं सही हैं, जिनका सत्यापन आज दिनांक..................................को...मेरे द्वारा किया गया है।

शपथगृहीता